न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 70/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2024/254
दायर दिनांक :– 13.05.2021 **निर्णय दिनांक :–** 20.12.2024

1. राजू पुत्र भैराराम जाति विश्नोई निवासी अमरपुरा राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. लादूराम पुत्र बलवता जाति विश्नोई निवासी अमरपुरा राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
2. भागीरथराम पुत्र बलवता जाति विश्नोई निवासी अमरपुरा राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
3. उदाराम पुत्र भैराराम जाति विश्नोई निवासी अमरपुरा राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
4. गुमानाराम पुत्र भैराराम जाति विश्नोई निवासी अमरपुरा राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
5. रतना पुत्र भैराराम जाति विश्नोई निवासी अमरपुरा राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
6. श्याम पुत्र भैराराम जाति विश्नोई निवासी अमरपुरा राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
7. सालगराम पुत्र भैराराम जाति विश्नोई निवासी अमरपुरा राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री विजय तंवर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

–:: निर्णय ::–

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा जवाब दावा पेश किया है उक्त जवाब दावा में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेज से प्रार्थी का जवाब दावा प्रथम दृष्टया ही साबित है उक्त जवाब दावा में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 की सामलाती खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि ग्राम अमरपुरा पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप में खसरा नम्बर 14 रकबा 4.6863 हैक्टयेर, ग्राम पदमेतनगर पटवार क्षेत्र राणेरी में खसरा नम्बर 665 रकबा 4.0064 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 668 रकबा 1.9182 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 669 रकबा 5.0343 हैक्टेयर तथा ग्राम झड़ासर पटवार क्षेत्र राणेरी में खसरा नम्बर 785/925 रकबा 10.3923 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 867 रकबा 12.2215 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी का अपने हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में सामलाती है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 अपनी कब्जा काश्त वाली भूमि

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

को छोड़ प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। इसलिये प्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी के कब्जा व काश्त में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 किसी प्रकार की कोई दखलअदांजी नहीं करे जिस हेतु यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता विजय तंवर ने मूल वाद में वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थी का कितनी भूमि पर हक हिस्सा है इसका निर्धारण मूल वाद में किया जाना है ऐसी स्थिति में रेकर्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से नहीं रोका जा सकता है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

20/12/24

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)